रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19012023-242079
CG-DL-W-19012023-242079

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

Lab. Attendant

सं. 01] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2023, शनिवार/ पौष 18—पौष 24, 1944
No. 01] NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2023, SATURDAY/ PAUSHA 18—PAUSHA 24, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 1.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप–धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स में (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उसका संबंध हवलदार (साधारण ड्यूटी) के पद से है, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लाप किया गया है, असम राइफल्स में हवलदार (साधारण ड्यूटी) के समूह 'ग' के योधक पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, हवलदार (सामान्य ड्यूटी) अराजकीय, अनन्सचिवीय समूह 'ग' योधक पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रीक्स में स्तर.–पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.–वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.– इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वे व्यक्ति, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती चिकित्सा परिषद के लिए गृह मंत्रालय की तारीख 20 मई, 2015 के मार्गदर्शन सिद्वांतो में विनिर्दिष्ट और गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अतिरिक्त अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा प्रवर्ग शैप–1 में है, इन नियमों के उपबंधो के अधिन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

6. अधिवर्षिता.–इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति उस माह के अंतिम तारीख को जिसमें वह साठ वर्ष के अपराहन या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरा कर लेता है सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु एक व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु पूरी करने वाले पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख के अपराहन में सेवानिवृत्त होगाः

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत की विहिन आयु से परे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

7. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

8. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहॉ उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्व करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

9. व्यावृति.– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अचयन भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हवलदार (जनरल ड्युटी)	10388*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंदोय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स (25500–81100/– रूपये) में स्तर –4	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
By selection through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) from amongst Rifleman and possessing following qualifications, namely:- (a) educational qualifications-10th class pass and Industrial Training Institute certificate in Recovery vehicle mechanic or equivalent qualification in Recovery Vehicle Operator from recognized Board or University; (b) shall be in the medical category 'SHAPE-1; (c) shall have good record of service; (d) upper age-limit shall be 35 years. Ex-servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Colonel (Records), Assam Rifles –Chairperson; 2. Lieutenant Colonel {Staff Officer 1 (Documentation & Coord)} , Assam Rifles – Member ; 3. One Technical qualified Officer below of the rank of Lieutenant Colonel, Assam Rifles – Member; 4. Any Junior Commissioned Officer nominated by Brigadier (Personnel) of Assam Rifles – Member.	Not applicable.

[F. No. A/Pers/RRs/Rec VM/ GP C Comb/2014/]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

Laboratory Attendant

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदारवल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रयोगशाला परिचर भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं, आदि**— भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला परिचर ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह–'ग' अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 1 (रू. 18,000. 56,900/–)	लागू नही होता ।	**18–25 वर्ष के बीच** (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु–सीमा में शिथिल करके चाली वर्ष तक की है ।) **टिप्पण 1**–आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वो अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप–खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2**–रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालय से नाम जमा करने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और आयु–सीमा, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविघालय से एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या 10+2 ।	लागू नही होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

वांछनीय : (i) .किसी सरकारी संस्था या सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से जुडी अधिमानत विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का अनुभव । (ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में के ऐसे अधिकारी ; (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन की शैक्षणिक अर्हताएं हैं । **टिप्पण 1**–प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2**–प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे : – (i) उप निदेशक –अध्यक्ष (ii) सहायक निदेशक –सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड -II या ग्रेड -III) –सदस्य ।	लागू नही होता ।

[फा. सं. 23011/48/2018–पुलिस ट्रेनिंग]

रमण कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th January, 2023

G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 1981except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (l) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**-The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Laboratory Attendant.	01* (2022) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted.	Level 1 (Rs. 18000-56,900) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether educational qualification and age-limit prescribed for direct recruits will apply to the case of promottees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	**Between 18-25 years** (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Union territory of Ladakh and Union territory of Lakshadweep. **Note 2.** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** Intermediate or 10+2 with Science as one of the subjects from a recognised Board or University. **Desirable:** (i) Experience of working in a Science laboratory preferably attached with a Government Institution or Government recognised Institution. (ii) Working knowledge of computers.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitments or by promotion/deputation and percentage of the vacancy to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion/deputation absorption grades from which promotion/deputation absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officials from amongst Central Forensic Science Laboratories or State **Forensic Science Laboratories**; (a) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications under column (7). **Note 1:** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2:** The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12)	(13)
Group 'C' Departmental *Confirmation* Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (i) Deputy Director - Chairman; (ii) Assistant Director - Member; (iii) Administrative Officer (Gde-II or Grade-III) – Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/48/2018-Police Trg.]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, .2023

सा.का.नि. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :

   (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 है।

   (ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।